जगदीश बनाम काली

अपील संख्या : 2023/35

03.02.2023	पत्रावली पेश हुई । उक्त अपील विद्वान् अभिभाषक श्री महेश योगी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2022 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की गई है । अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस एडमिशन पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश धारा 111 एल.आर.एक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था और प्रार्थी ने अपनी कृषि आराजी मे पत्थरगढ़ी करवाकर सीमाज्ञान बाबत सहायता चाही थी, परन्तु त्रुटिवश अधीनस्थ न्यायालय के आदेश मे धारा 111 आर.टी.एक्ट अंकित हो गया और उक्त आदेश की अपील संभागीय आयुक्त कोटा के यहां प्रस्तुत करने पर रिपोर्ट की स्टेज पर ही टीनेन्सी एक्ट के तहत क्षेत्राधिकार नही होने से मूल अपील सुनवाई हेतु वापस लौटा दी। टीनेन्सी एक्ट के तहत सुनवाई का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार है। साथ ही प्रार्थना पत्र मे यह भी निवेदन किया कि प्रस्तुत अपील मे त्रुटिवश अधिनियम का गलत वर्णन हुआ है, उक्त अपील को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त त्रुटि को दुरूस्त कर पुनः निर्णय पारित करना है, न्यायहित मे एडमिशन के स्तर पर ही उक्त अपील को निस्तारित कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सेक्शन–111 एल.आर.एक्ट. मे निर्णय पारित कर निर्णय मे एल.आर. एक्ट लिखे जाने का आदेश प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया। हमने अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की बहस पर मनन किया । पत्रावली में प्रार्थी काली बाई द्वारा दिनांक 04.03.2020 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 वास्ते किये जाने पत्थरगढी प्रस्तुत किया गया है परन्तु उपखण्ड अधिकारी नैनवा के निर्णय दिनांक 27.06.2022 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 आर0टी0 एक्ट अंकित किया गया है । अपीलान्ट ने माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के यहॉ भी धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपील प्रस्तुत की जिसे एडमिशन स्तर पर ही लौटा दिया गया । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित करने का कथन किया है । हमारे मत में सम्पूर्ण प्रकरण व मूल पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय में ही है । सभी तथ्य व दस्तावेज भी पत्रावली में ही संलग्न होंगे । अतः अपीलान्ट यदि कोई संशोधन चाहते हैं तो वे सम्बन्धित उसी न्यायालय में विधि अनुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विधि अनुसार निस्तारण करवा सकते हैं । बिना सम्पूर्ण रिकॉर्ड के इस स्तर पर न्यायालय हाजा द्वारा किसी भी प्रकार का आदेश किया जाना उचित नहीं है ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार का नही होने से हस्तगत अपील एडमिशन स्तर पर खारिज की जाती है । अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर दाखिल दफ्तर हो व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा